भाग-I

निविदा का फार्म

(ठेकेदार के पत्रशीर्ष पर टाईप किया हुआ हो)

कबाड़ की बिक्री हेतु आवेदन पत्र

1	फर्म का नाम:	
2	साझेदारी फर्म है या मालिकाना: (रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
3	यदि साझेदारी फर्म है तो कृपया सभी साझेदारों के नाम लिखें:	
4	ठेके के आधार पर उक्त कार्य का अनुभव:	
5	फिलहाल आप जिन पार्टियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके नाम व पते:	
6	आप के मास्टर रोल पर कितने श्रमिक हैं?	
7	i) क्या आपके पास संविदा श्रम (आर एण्ड ए) अधिनियम, 1970की धारा 12(1) एवं संविदा श्रम अधिनियम की धारा 21 के तहत लिया हुआ लाईसेंस है। ii) यदि है तो लाईसेंस क्रमांक आदि के ब्यौरे प्रस्तुत करें तथा प्रति संलग्न करें।	
8	i) पूर्ण स्थानीय पता जहाँ आप से संपर्क किया जा सकता है (टेलिफोन/मोबाईल नंबर सहित) ii) पते के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न	

	करें।	
9	स्थाई पता:	
10	क्या आप को संलग्न नियम व शर्तों में दिए गए विभिन्न उपबंधों की निवंधन एवं शर्तें मान्य हैं?	
11	अन्य महत्वपूर्ण विवरण, जो आप देना चाहते हैं, जो मद संख्य 1 से 11 में नहीं दिए गए हैं।	
12	आयकर विभाग द्वारा दिया गया पैन एवं जीएसटी संख्या(एक छायाप्रति संलग्न करें):	
13	टिन संख्या (एक छायाप्रति संलग्न करें):	

मै/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है तथा गलत पाए जाने पर भातीय रिज़र्व बैंक द्वारा करार को रद्द किया जा सकता है।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: निविदाकर्ता का नाम:

भाग-II

निविदा का फार्म

(ठेकेदार के पत्रशीर्ष पर टाईप किया हुआ हो)

कबाड़ की बिक्री हेतु दरों की अनुसूचि

1	ठेकेदार का नाम:	
2	पता:	
3	निम्नलिखित कबाड़ वस्तुओं को क्रय करने की दर(प्रति किलो/लीटर, जीएसटी तथा टीसीएस रहित):	
	i) स्टील पत्ती	₹________/-/किलो (रु______________ मात्र प्रति किलो)
	ii) प्लास्टिक पत्ती	₹________/-/किलो (रु______________ मात्र प्रति किलो)
	iii) लकड़ी के बक्से	₹________/-/किलो (रु______________ मात्र प्रति किलो)
	iv) एल्युमिनियम के बक्से	₹________/-/किलो (रु______________ मात्र प्रति किलो)
	v) टिन के बक्से	₹________/-/किलो (रु______________ मात्र प्रति किलो)
	vi) मशीन का उपयोग किया हुआ तेल	₹________/-/लीटर (रु______________ मात्र प्रति लीटर)

मै/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है तथा गलत पाए जाने पर भातीय रिज़र्व बैंक द्वारा करार को रद्द किया जा सकता है।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: निविदाकर्ता का नाम:

बयाना राशि जमा (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा (सेक्युर्टी जमा)

आवेदक को दिनांक 12.03.2019 को या पहले, बयाना राशि रु. 10,000 (रुपए दस हज़ार मात्र) को अनुलग्नक 1 के अनुसार एनईएफ़टी के माध्यम से जमा करनी होगी।

1) सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन तथा विधिवत निर्वाह होने तक प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा।

2) सफल निविदाकर्ता के साथ क़रार का निष्पादन होने पर सभी निविदाकताओं को बयाना राशि जमा वापस कर दी जाएगी।

3) प्रतिभूति जमा किये जाने पर, सफल निविदाकर्ता को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ क़रार का निष्पादन करने में विफल रहता है तो, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

4) बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, रु. 10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) की राशि बैंक में जमा करनी होगी जिसे बैंक द्वारा इस संविदा की मान्यता रहने तथा /या उसकी बढ़ी हुई अवधि तक रखा जाएगा ।

5) बयाना राशि या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।

<u>कबाड़ की बिक्री की निविदा संबंधी नियम व शर्तें</u>

1. इच्छुक फर्में, दो भागों में निर्धारित प्रपत्रों में निविदा को जमा करेंगी।

   निविदाकर्ता द्वारा भाग-I निविदा में निविदा का फार्म(भाग-I), सामान्य अनुदेश, अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 2, एक लिफाफा जिसपर प्रासंगिक निविदा का नाम लिखा हुआ हो, में मुहरबंद करके रखा जाएगा।निविदा के भाग-II में केवल मूल्य बोली(भाग-II निविदा का फार्म) शामिल होगी एवं वह दूसरे लिफाफे जिसपर प्रासंगिक निविदा का नाम लिखा हुआ हो, में मुहरबंद कर रखा जाएगा।दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक अन्य मुहरबंध लिफाफे में रखा जाएगा एवं उसे श्री अजय मिचयारी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल, मध्य प्रदेश को सम्बोधित कर के उस पर **"कबाड़ की बिक्री हेतु निविदा"** लिखा जाना चाहिए तथा उसे **दिनांक 12.03.2019 को मध्यान्ह 05:00 बजे** से पहले बैंक के प्रवेश द्वार के पास स्थित आईएसएस कक्ष में रखे निविदा बक्से में प्रेषित किया जाए।

2(क) निविदा के भाग-I को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा अथवा उनके द्वारा तद्हेतु नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों (प्राधिकार पत्र के साथ उपस्थित हुए) की उपस्थिति में इस कार्यालय में **दिनांक 13.03.2019** को **दोपहर 03:30 बजे** खोला जाएगा।

ख) बैंक द्वारा यह निविदा उसे खोलने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध रहेगी। इस अवधि को आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है तथा निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा रद्द अथवा समाप्त नहीं कर सकते है।

ग) बैंक से उनका/ उनकी निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को संविदा अमल में लाना बंधनकारक होगा। सफल निविदाकर्ता को मसौदा करार तथा दरों की अनुसूची के अनुसार 07 दिन के भीतर एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे किन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक तथा इस प्रकार निविदा करने वाले व्यक्ति के बीच एक बंधनकारक करार के रूप में बनी रहेगी फिर चाहे बाद में लिखित करार निष्पादित किया जाए या न किया जाए।

3 क) निविदाकर्ता को अपनी दरें भरने के लिए केवल बैंक द्वारा निर्धारित एवं बैंक की वेबसाईट से डाउनलोड किए गए फॉर्मों का उपयोग करना चाहिए। निविदा फार्म के मूलशब्द में निविदाकर्ता द्वारा किए गए जोड़/परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा अन्यथा इसे शून्य एवं निरस्त समझा जाएगा।ई-मेल द्वारा जमा की गई निविदा/आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) निविदा फॉर्म हिन्दी/अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए तथा सभी प्रविष्टियां स्याही से हस्तलिखित होनी चाहिए।यदि कोई भी प्रालेख कम अथवा हस्ताक्षर रहित पाया गया तो बैंक द्वारा निविदा को अवैध समझना बैंक के निर्णय पर निर्भर होगा।

ग) दरों को उनके लिए दिए गए स्तंभो में अंको एवं शब्दों, दोनों में लिखना चाहिए। निविदा भरते समय की गई सभी गलतियों के सुधार एवं परिवर्तन निविदाकर्ता के आद्यक्षर द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने चाहिए। अंकों के अधिलेखन की अनुमति नहीं है। इन शर्तों में से किसी का भी अनुपालन न करने पर निविदा को निरस्त करना बैंक की इच्छा पर निर्भर होगा। निविदा खोलने के बाद दर में अथवा शर्तों में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) निविदा के प्रत्येक दस्तावेजों पर उसे प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा इस आशय से हस्ताक्षर करने चाहिए कि उसने/ उन्होंने संविदा के लिए निर्धारित सामान्य शर्तें/ विनिर्देश, विशेष शर्तें आदि के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। हस्ताक्षर रहित निविदा अस्वीकृत की जाएगी।

ड़) किसी साझेदारी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा फॉर्म पर उस फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अथवा उस साझेदार द्वारा जिसे फर्म की ओर से प्रस्तावित संविदा में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया गया हो व कंपनी होने की स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा जिसके पास मुख्तारी अधिकार हों, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।अन्यथा बैंक द्वारा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिकतम अथवा कोई भी निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा कोई भी अथवा सभी निविदाएं बिना कोई कारण बतलाए पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. संविदा प्रदान किये जाने की स्थिति में ठेकेदार यह संविदा किसी और फर्म को नहीं देगा। वह इस संविदा का कोई भी हिस्सा बैंक की लिखित अनुमति के बगैर भाड़े पर नहीं देगा। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर बैंक ठेकेदार को यह संविदा भंग करने के आरोप में लिखित सूचना देगा।

6. अगर लागू हो, तो ठेकेदार को, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम ठेका(नियमन व उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 की धारा 21 के निर्धारित नियमों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, **भोपाल कार्यालय** से एक लाईसेन्स प्राप्त करना होगा तथा उक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यदि लाईसेंस लागू न हो, तो ठेकेदार को उनके पास उपलब्ध मजदूरों की संख्या इत्यादि से संबंधित एक शपथ पत्र(अनुलग्नक 3) उपलब्ध कराना होगा।

7. यदि ठेकेदार, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम ठेका(नियमन व उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 की धारा 21 एवं अन्य किसी कानून के निर्धारित नियमों के अनुसार लाईसेन्स प्राप्त नहीं करता है तो उसकी वजह से होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।बैंक, ठेकेदार के कृत्यों, आचरणों अथवा चूकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा एवं ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए जा रहे मजदूरों के प्रति, बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

8. ठेकेदार को, वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य किसी श्रमिक नियम/कानून के प्रावधानों के उल्लंघन से होने वाले समस्त हानियों एवं दावों, क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा के लिए स्वयं एवं बैंक की तरफ से क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठेकेदार इस संबंध में केवल देयताओं, यदि कोई हो तो, उसके लिए उत्तरदायी होगा।

9. साथ ही, उसे/उन्हे श्रम ठेका अधिनियम, 1970 के अनुसार नियुक्त किए गए श्रमिकों के लिए पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, जैसी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। एजेंसी/ठेकेदार को कार्य के प्रदान किए जाने के पूर्व एक लागू मूल्य का गैर न्यायिक शपथपत्र(अनुलग्नक 3) देना होगा जिसमें लिखा होगा कि वह वचन देता है कि उसके द्वारा विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु लगाए गए सभी श्रमिकों को उनके कार्य के ब्योरे के अनुसार उन दरों पर वेतन का भुगतान किया जाएगा जोकि श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत निर्धारित किये गये न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा एवं साथ ही वह उसके द्वारा निर्धारित वेतन एवं जरूरी सुविधाएँ

उपलब्ध न कराने के कारण प्रधान नियोक्ता पर वैधानिक प्रधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रधान नियोक्ता को सुरक्षा प्रदान करेगा।

10(क) सफल निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु ऐसे व्यस्क, प्रशिक्षित और योग्य श्रमिक लगाए जाएंगे जोकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं किसी चिरकालिक अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित न हो।

ख) सफल निवदाकर्ता श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानून एवं अन्य वैधानिक नियमों के अनुसार प्राप्त होने वाले वेतन को प्रदान करने के जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होगा। सभी श्रमिकों को भुगतान बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठेकेदार को एक उपस्थिति पंजी एवं वेतन का रजिस्टर बनाना होगा जिसको बैंक द्वारा समय-समय पर सत्यापन हेतु मंगवाया जाएगा।

ग) सफल निविदाकर्ता उसके द्वारा बैंक के कार्य के प्रतिपादन हेतु नियुक्त किए गए सभी श्रमिकों का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी से बीमा करान सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए बैंक द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, पशु अथवा किसी अन्य वस्तु को लगी चोट अथवा नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

घ) सफल निविदाकर्ता द्वारा श्रमिकों का पुलिस एवं उनके पूर्व नियोक्ता यदि कोई हो तो, द्वारा उपलब्ध कराया गया चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ उनके नाम, स्थायी एवं अस्थायी पते एवं नवीनतम पासपोर्ट आकार के छायाचित्र बैंक को उपलब्ध कराना होगा।

11. इस संविदा की अवधि एक वर्ष अर्थात 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की होगी। यदि बैंक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा से संतुष्ट होता है तो बैंक इस संविदा को आगे के एक वर्ष के लिए, समान नियम व शर्तों पर नवीनीकरण करने पर विचार कर सकता है।इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

12.करार अनुलिपि सहित निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास तथा उसकी अनुलिपि ठेकेदार के पास रहेगी। मूल प्रति पर देय स्टॉम्प शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन और अदा किया जाएगा।

13. आवेदक के पास निविदा के अंतर्गत कार्य के निष्पादन हेतु अपने पर्याप्त साधन होने चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/अनूसूचित वाणिज्य बैंको में से किसी एक में खाता होना चाहिए तथा बैंक का नाम तथा उसमें स्थित खाते का स्वरुप प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

14. निविदाकर्ता को उन पार्टियों के नाम एवं पते देने चाहिए जिनके यहाँ उन्होंने इससे पहले इस प्रकार के कार्य किए हैं।

15. यदि 01 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नया करार किसी भी कारण से क्रियान्वित नही हो पाता है तो, संविदाकार को, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के आदेश से, वतर्मान करारनामे की समाप्ति की दिनांक से तीन महीने की आगे की अवधि तक के लिए उन्ही नियम व शर्तो पर कार्य करना होगा ।

16. उक्त अवधि से पूर्व दोनों में से किसी भी पार्टी द्वारा करार तीन माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

17. बैंक यदि यह पाता है कि संविदा के अनुपालन में किसी प्रकार की अनियमितता / कमी है तो वह **तीन माह** का नोटिस देकर करार को निरस्त कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

18. ठेकेदार द्वारा, बैंक के संरचना/प्रणाली/उपकरणों इत्यादि जोकि ठेके से संबंधित कार्य का निष्पादन करते समय उसके उपयोग में अथवा जानकारी में आएगी, उनका खुलासा उसके द्वारा जानबूझकर अथवा अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति से नहीं किया जाएगा एवं उक्त की उसके द्वारा पूरी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। उसके द्वारा जानकारियों को निजी एवं गोपनीय रखा जाएगा। बैंक को, उसके द्वारा गोपनीय जानकारियों का खुलासा किए जाने के कारण किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसके द्वारा बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी। यदि उक्त का पालन नहीं किया जाता है तो बैंक इसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन समझेगा एवं बैंक को, क्षतिपूर्ति का दावा एवं कानूनी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।
    ठेकेदार द्वारा, उचित कदम उठाए जाएंगे कि ठेके से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारियों का खुलासा नहीं किया जाएगा।
    ठेकेदार द्वारा, गोपनीयता बानए रखने संबंधित कर्तव्य का पालन ठेके की समाप्ति अथवा किसी भी कारण से ठेका निरस्त होने के बाद भी किया जाएगा।

19. ठेके से संबंधित अथवा ठेके से अलग किसी भी प्रकार के विवाद को भोपाल में उत्पन्न हुआ समझा जाएगा एवं उसका निपटान करने का अधिकार केवल भोपाल में स्थित न्यायालय को होगा।

20. अगर आवश्यकता हो तो कबाड़ की बिक्री की निविदा विभिन्न ठेकेदारों को दी जा सकती है।

21. **कायर्स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न** कायर्स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) ("अधिनियम") के प्रावधानो के अनुरुप, संविदाकर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक नीति निरूपित करेगा तथा तदानुसार इस अधिनियम के तहत "कर्मचारी" की परिधि में आने वाले किसी भी कार्मिक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संबंध में, निपटान करने, सुनवाई करने, आवश्यक कारर्वाई करने इत्यादि के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करेगा।

इसके कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के परिसरों में यदि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत मिलती है तो उक्त शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समीट के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा संविदाकार शिकायत के संबंध में कथित अधीयम के तहत उचित कारर्वाई सुनिश्चित करेगा ।
यदि इसमें संविदाकार के कमर्चारी शामिल हो तो किसी भी मोद्रिक हजार्ने के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा संविदाकार कायस्र्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबिन्धत मुद्दो के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक/शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेवार होगा।

22. वर्तमान अनुबंध, संबन्धित दस्तावेज, जिनमें अनुलग्नक भी शामिल हैं, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं, दोनों संस्करणों को प्रामाणिक समझा जा रहा है, लेकिन कानूनी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी।

मै/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के लिए दिए गए उपरोक्त सारे अनुदेशों को पढ़ा एवं समझा है।

साक्षीदार के हस्ताक्षर:
साक्षीदार का नाम:
साक्षीदार का पता:

दिनांक
निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक I

<u>एनईएफ़टी जानकारी</u>

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल

पता – होशंगाबाद रोड, भोपाल , 462 001

1	खाताधारक का नाम (बैंक खाते के अनुसार)	भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल
2	**खाता संख्या**	**186003001**
3	खाते का प्रकार	**चालू खाता**
4	**PAN क्रमांक**	**AAIFR 5286M**
5	बैंक का नाम	**RBI, भोपाल**
6	श्ख का नाम	**RBI, भोपाल**
7	Address of the Bank	**RBI, भोपाल**
8	**NEFT/IFS कोड**	**RBIS0BLPA01** **(0 अर्थात शून्य)**
9	खाते का नाम	**RBI, NEFT, Inward Received**
10	GSTIN	**23AAIFR5286M120**

<u>अनुलग्नक-2</u>

<u>कबाड़ की बिक्री के ठेके से संबंधित नियम व शर्तें</u>

1. ठेकेदार द्वारा बैंक के आदेशानुसार जब भी कहा जाए, कबाड़ (स्ट्रेपिंग पत्ती (स्टील और प्लास्टिक), लकडीं के बक्से एवं टिन/ एल्युमिनियम के बक्से तथा मशीनों के उपयोग किया हुआ तेल) को खरीद आधार पर, बैंक भवन से बाहर ले जाना होगा।
2. कबाड़ को समय पर उठाने हेतु मजदूरों / ट्रक तथा उससे संबंधित भुगतान आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी एवं कबाड़ उठाने का कार्य, बैंक के कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में दोपहर 2:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच, एक/दो हफ्ते में एक बार, बैंक के स्टाफ सदस्य की उपस्थिति में करना होगा।
3. ठेकेदार इस संविदा के प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाले अपने मजदूरों और वाहनों के सत्यापन और पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक के परिसर के भीतर प्रवेश करने या वापिस, जाने के पहले बैंक के अधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा पास प्राप्त करेगा। इसमें इस संविदा के जारी रहने की अवधि के दौरान बैंक द्वारा यथा आवश्यक पुलिस / परिवहन, प्राधिकारियों आदि से समय-समय पर लिखित रुप में सत्यापन / प्रमाणीकरण सम्मिलित होगा। यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे सभी सत्यापन / प्रमाणीकरण वैध और प्रचलित स्थिति में हो।
4. ठेकेदार को कबाड़ की खरीद राशि पर वर्तमान लागू वैट GST (वर्तमान लागू दर) एवं अन्य लागू कर देना होगा।
5. ठेकेदार को रू.10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की अमानत राशि बैंक में जमा करनी होगी।
6. इस में दर्शाई गयी अवधि के अनुसार यदि ठेकेदार समय से कबाड़ भंडार स्थल से नहीं उठाता तो बैंक द्वारा कबाड़ हटाये जाने में हुआ समस्त खर्चा ठेकेदार की जमा अमानत राशि में से काट लिया जायेगा। **इसके अलावा सक्षम अधिकारी की अनुमति से बैंक को अर्थदण्ड लगाने का भी अधिकार होगा।**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के लिए दिए गए उपरोक्त सारे अनुदेशों को पढ़ा एवं समझा है।

साक्षीदार के हस्ताक्षर:
साक्षीदार का नाम:
साक्षीदार का पता:

____
____

दिनांक ________________ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

शपथपत्र का प्रारूप

1. मै/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मुझे/हमें संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम ठेका(नियमन व उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 की धारा 21 के निर्धारित नियमों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार से लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

2. मै/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को उन दरों पर वेतन का भुगतान किया जाएगा जोकि श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा।

3. मै/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा श्रम ठेका अधिनियम, 1970 के अनुसार, नियुक्त किए गए श्रमिकों के लिए पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, जैसी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

4. मै/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मै/हम, वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य किसी श्रमिक नियम/कानून के प्रावधानों के उल्लंघन से होने वाले समस्त हानियों एवं दावों, क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा के लिए स्वयं एवं बैंक की तरफ से क्षतिपूर्ति करुंगा/करेंगे। मै/हम,इस संबंध में केवल देयताओं, यदि कोई हो तो, उसके लिए उत्तरदायी होऊँगा/होंगे।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)